कार्यालय नगर परिषद् राऊ,जिला–इन्दौर (म.प्र)

187

PH: 0731-2856231 Email-cmorau@mpurban.gov.in

क्रमांक / 192 / राऊ,दिनांकः– 21/01/19

अनुज्ञापत्र

श्री श्रीमति मीनादेवी अग्रवाल पति संजय कुमार अग्रवाल निवासी 1, संजना पार्क बिचौली मर्दाना रोड इन्दौर मकान नं. / खसरा नं. 478/4/1/1 से 478/9/1/474 स्थान राऊ संजना पार्क-II पर नवीन भवन / वर्तमान भवन के पुनः निर्माण / परिवर्द्धन / परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में वांछित स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन दी जाती है ।

1. संरचना, स्वीकृत मानचित्रानुसार (जो स्वीकृति का भाग है) ही स्वंय के स्वामित्व की भूमि में ही की जाएगी ।
2. मकान में शौचालय भंगीमुक्त ही बनाया जाएगा तथा अपनी स्वयं की भूमि में जल निकासी पानी का सैफपिट टैंक आदि व्यवस्था की जाएगी ।
3. किसी प्रकार का अतिक्रमण नगर पंचायत भूमि पर नही किया जाएगा । किसी प्रकार का प्रोजेक्शन नगर पंचायत भूमि पर नही किया जाएगा ।
4. किसी भी शासकीय अर्द्धशासकीय आपत्ति आने पर भवन अनुज्ञा स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।
5. पड़ौसियो के सुखाधिकार का उल्लंघन नही किया जाएगा ।
6. निर्माण कार्य , स्वीकृति प्रदान किये जाने से नगर तथा ग्राम निवेश इन्दौर के नियमानुसार 3 वर्श में पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके बाद पुनः नया आवेदन देना होगा ।
7. नये प्लाट दो तिहाई से अधिक भाग में संरचना नही की जाएगी ।
8. परिषद् अध्यक्ष तथा समिति के सभापति या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त कोई भी पदाधिकारी किसी भी समय भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकेगा तथा निर्देश दिये जा सकेगा जिसका पालन अनिवार्य होगा ।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर भवन आवेदक को निर्माण पूर्ण होने की सूचना नगर पालिका की धारा (191) म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत देना होगी तथा प्रमाण–पत्र प्राप्त करना होगा ।
10. यह अनुज्ञा कभी भी वापस ली जा सकेगी ।
11. इन शर्तो के उल्लघंन की स्थिति में नगर पालिका योग्य वैधानिक कार्यवाही कर सकेगी।
12. मकान की छत, या गैलरी, चड़ाव आदि अपने स्वयं के स्वामित्व की भूमि की सीमा में रखें।
13. वर्षा के पानी भूमिगत संरक्षण हेतु अपने मकान में उचित स्थान पर जल संग्रहण हेतु छत छप्पर का पानी भंडारण सोख्ता गड्ढा का निर्माण डिजाईन के अनुसार किया जावे ।
14. पौधे लगाना अनिवार्य है ।
15. अग्नि शामन यंत्रों की व्यवस्था नेशनल बिल्डींग कोड (NBC) के प्रावधान अनुसार करना अनिवार्य होगा।
16. भवन निर्माण भूकम्प रोधी तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप किया जाना आवश्यक होगा।
17. म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान अनुसार M.O.S छोड़कर एवं F.A.R. 1:5 अनुसार भवन का निर्माण करना बन्धनकारी होगा। उक्त भवन में छोडकर निर्माण नही करने एवं F.A.R. 1:5 से अधिक निर्माण करने पर एवं भूमि विकास नियम 2012 के निर्धारित मापदण्डों का कोई भी उल्लघंन करने पर यह भवन अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
18. भवन अनुज्ञा तीन वर्ष हेतु मान्य होगी

विशिष्ट – शर्ते

भूमि संबंधित विवाद होने एवं गलत जानकारी देने पर जारी की गई अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

यह अनुमति स्वयं के निवास हेतु दी जाती है।

Sub-Engineer
Nagar Parishad, Rau, Indore

21/1/2019
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ इन्दौर
मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ,जिला–इन्दौर